संख्या-56/2015/वे0आ0-2-995/दस-54(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विषय :--- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवदेन भाग-2 में राजकीय विभागों के सांख्यिकीय कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गए निर्णय में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-2 में राजकीय विभागों के सांख्यिकीय कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर निर्णय लेकर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-वे0आ0-2-2061/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा आपको आवश्यक विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त निर्णय के प्रस्तर-1(4) में की गई व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :--

" प्रथम स्तर के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय किन्तु अर्थ एवं संख्या प्रभाग में प्रथम स्तर के 20 प्रतिशत पदों पर ऐसे ग्राम विकास अधिकारी (पूर्व पदनाम ग्राम सेवक) से पदोन्नति की जायेगी, जिन्होंने कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सीधी भर्ती हेतु गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में 'ओ' का डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाय। संवर्ग के दूसरे स्तर के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।"

2- पत्र संख्या-वे0आ0-2-2061/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित निर्णय की शेष व्यवस्थायें यथावत बनी रहेंगी।

3- नियोजन विभाग कृपया उपर्युक्त निर्णय का समावेश करते हुए अर्थ एवं संख्या प्रभाग के लिए संशोधित शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या-56/2015/वे0आ0-2-995(1)/दस-54(एम)/2008 टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in